भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.ईसीआई/प्रे.नो./1/2018

दिनांक: 4 जनवरी, 2018

प्रेस नोट-शुद्धि-पत्र

विषय: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा सिक्किम से राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन एवं उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचन।

आयोग ने प्रेस नोट सं.ईसीआई/प्रे.नो./96/2017 दिनांक 22.12.2017 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा सिक्किम से राज्य सभा में क्रमश: 27.01.2018 एवं 23.02.2018 को उत्पन्न होने वाली चार रिक्तियों को भरने के लिए द्विवार्षिक निर्वाचनों की घोषणा की है।

उपर्युक्त प्रेस नोट में, पैरा 6 के पश्चात निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाएगा।

"7. इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से राज्य सभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की पदावधि एसएलपी सं.17123/2015 (भारत निर्वाचन आयोग बनाम देवेश चन्द्र ठाकुर एवं अन्य) में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन होगी।"

(सुमन कुमार दास)
अवर सचिव